

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम दत्तली के खाता सं. 176,273,316,335,352 खसरा नं. में आवेदन पत्र अनुसार शिवजीराम पुत्र नारायण के स्थान पर श्योजीराम पुत्र नारायण शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत शोजपुरा में दिनांक 30-5-25 को मजमेआम में सुनाया गया।

30/5/25